28. पूर्वोक्त कारणों से, यह दांडिक अपील भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित 364/34 के अधीन अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश को अपास्त करते हुए भागत: मंजूर की जाती है । तथापि, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और धारा 201 के अधीन अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि करते हैं ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.

[2020] 1 उम. नि. प. 324

अरुणाचल प्रदेश राज्य

बनाम

रामचंद्र रबिदास उर्फ रत्न रबिदास और एक अन्य

[2010 की दांडिक अपील सं. 905 (इसके साथ 2010 की दांडिक अपील सं. 906)]

4 अक्तूबर, 2019

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 183 और 184 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 5, 279, 304क, 337 और 338 तथा साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26] – अत्यधिक गति और खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना – दुर्घटना से संबंधित मामलों में केवल मोटर यान अधिनियम के अधीन न कि भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन अभियोजन चलाने के निर्देश जारी किया जाना – चूंकि मोटर यान अधिनियम और दंड संहिता में मोटर यान दुर्घटनाओं से संबंधित उपबंध एक-दूसरे से पूर्णत: अलग और सुभिन्न हैं तथा शास्तिक परिणाम भी अलग-अलग हैं, इसलिए इन दोनों

संहिताओं के बीच कोई संघर्ष नहीं होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध दोनों संहिताओं के अधीन स्वतंत्र रूप से अभियोजन चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, अत: उक्त निदेशों को अपास्त किया जाना उचित और न्यायसंगत होगा ।

मामले के तथ्यों के अनुसार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक दांडिक पुनरीक्षण मामले में अरुणाचल प्रदेश राज्य सहित कतिपय राज्यों को यह निदेश दिए कि उनके द्वारा समुचित प्राधिकारियों को यह निदेश जारी किए जाएं कि सड़क यातायात दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों में अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन केवल मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन चलाया जाए न कि भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि मोटर यान अधिनियम एक विशेष अधिनियमिति है और भारतीय दंड संहिता एक साधारण विधि है, इसलिए विशेष विधि साधारण विधि पर अभिभावी होगी और भारतीय दंड संहिता के अधीन अभियोजन चलाना कानून की मंजूर न होने की कोटि में आएगा । अरुणाचल प्रदेश राज्य आदि ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता, 1860 और मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों के बीच कोई संघर्ष नहीं है । दोनों कानून पूर्णत: भिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं । दोनों कानूनों के अधीन उपबंधित अपराध एक-दूसरे से अलग और सुभिन्न हैं । दोनों कानूनों के अधीन उपबंधित शास्तिक परिणाम भी एक-दूसरे से स्वतंत्र और सुभिन्न हैं । दोनों कानूनों के अधीन अपराधों के संघटक भिन्न-भिन्न हैं और अपराधी को दोनों कानूनों के अधीन स्वतंत्र रूप से विचारित और दंडित किया जा सकता है । यह सिद्धांत कि विशेष विधि साधारण विधि पर अभिभावी होनी चाहिए, भारतीय दंड संहिता और मोटर यान अधिनियम के अधीन सड़क दुर्घटनाओं में के अपराधियों के अभियोजन के मामले में लागू नहीं होता है । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मोटर यान अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जो मोटर यान दुर्घटनाओं के मामलों में मोटर

यान द्वारा मृत्यु, या घोर उपहति, या उपहति कारित करने के अपराधों के संबंध में अलग से हो । मोटर यान अधिनियम का अध्याय 13 व्यक्तियों को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के कृत्य के परिणामस्वरूप मृत्यु, या उपहति, या घोर उपहति कारित होने के बारे में मौन है और न ही इसमें इनके लिए कोई अलग दंड विहित किया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304 भाग 2, 304क, 337 और 338 विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विरचित की गई हैं । साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में यह उपबंधित है कि "जहां किसी कृत्य या लोप से दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन अपराध का गठन होता है, तब अपराधी उन अधिनियमितियों में से प्रत्येक या किसी के अधीन अभियोजित और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा, किंतु उसी अपराध के लिए दो बार दंडित किए जाने के लिए दायी नहीं होगा ।" यह भली-भांति स्थिर है कि किसी कृत्य या लोप से भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध का गठन हो सकता है और साथ ही साथ यह किसी अन्य विधि के अधीन भी अपराध हो सकता है । अत: उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दो कानूनों अर्थात् मोटर यान अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधियों का अभियोजन चलाना असंधार्य और विधि के प्रतिकूल है, अपास्त किया जाता है । मोटर यान अधिनियम और विशिष्टत: मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 का विधायी आशय, जहां तक मोटर यान दुर्घटनाओं में के अपराधियों की दोषसिद्धियों का संबंध है, भारतीय दंड संहिता के उपबंधों को अभिभावी या अधिक्रांत करना नहीं था । मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 के अधीन आने वाले अपराधों से भारतीय दंड संहिता की धारा 297, 304, 304क, 337 और 338 के अधीन उपबंधों की प्रयोज्यता निराकृत नहीं हो सकती है । ये अपराध परस्पर व्यापी नहीं हैं और इसलिए "साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते (जनरेलिया स्पेशियालिबस नॉनडेरोगेंट)" सूत्र अनुप्रयोज्य है और इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता था । भारतीय दंड संहिता के अधीन विहित किए गए अपराध मोटर यान अधिनियम के अधीन विहित किए गए अपराधों से स्वतंत्र हैं । जहां तक

मोटर यान अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सड़क यातायात/मोटर यान के अपराधियों का भारतीय दंड संहिता के अधीन अभियोजन से भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का उल्लंघन होता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है । मामले पर एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए, मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 के अधीन आने वाले अपराध मोटर यान अधिनियम की धारा 208(3) को देखते हुए शमनीय प्रकृति के हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304 भाग 2 और 304क के अधीन अपराध शमनीय नहीं हैं । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, यदि भारतीय दंड संहिता पर मोटर यान अधिनियम को अधिमान दिया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन आते हैं, तब उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के कारण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध, मृत्यु कारित करने, या घोर उपहति, या साधारण उपहति कारित करने के मामले भी शमनीय बन जाएंगे । ऐसे निर्वचन का परिणाम यह होगा कि अपराधी कारित किए गए अपराध के लिए किसी अभियोजन का सामना किए बिना दोषी होने का अभिवचन करके जुर्माना देकर छूट जाएंगे । इस न्यायालय ने बारंबार मोटर यान दुर्घटनाएं कारित करने के लिए उत्तरदायी अपराधियों को कठोरतापूर्वक दंड देने की आवश्यकता पर बल दिया है । मोटर यानों की संख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि से भारत को सड़क यातायात से होने वाली क्षतियों और प्राणांतक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है । किसी परिवार के आजीविका कमाने वाले या परिवार के किसी अन्य सदस्य को खो देने, या दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की असमर्थता के कारण हुई आर्थिक हानि, भावनात्मक और सामाजिक अभिघात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । अत: यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि कोई अभियोजन, यदि अन्यथा चलाने योग्य है, भारतीय दंड संहिता और मोटर यान अधिनियम दोनों के अधीन चलाया जाएगा, चूंकि दोनों कानून अपने-अपने स्वतंत्र क्षेत्र में पूर्ण सामर्थ्य से लागू होते हैं । यदि यह उपधारणा की जाए कि मोटर यान

अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंध परस्पर व्यापी हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों कानूनों के अधीन अपराध असंगत हैं । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को जारी किए गए इन निदेशों को अपास्त करता है कि वे मोटर यान दुर्घटनाओं में अपराधियों को केवल मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन न कि भारतीय दंड संहिता के अधीन अभियोजित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी करें । (पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 2 एस. सी. सी. 186 : **विमला देवी और अन्य** बनाम **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. और अन्य** ;	5
[2018]	2018 की दांडिक अपील सं. 1195-1207 जिसका तारीख 20 सितंबर, 2018 को विनिश्चय किया गया : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **सय्यद हसन** ;	8
[2013]	(2013) 7 एस. सी. सी. 545 = (2013) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 608 : **गोपाल सिंह** बनाम **उत्तराखंड राज्य** ;	12
[2012]	(2012) 2 एस. सी. सी. 648 = (2012) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 953 : **अलिस्टर एंथोनी परेरा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	5.12
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 734 = (2012) 4 एस. सी. सी. (सिविल) 594 = (2013) 1 एस. सी. सी. 972 : **गुरु बासवराज** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	16

[2008] (2008) 1 एस. सी. सी. 791 :
नरेश गिरी बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 5.12

[2008] (2008) 3 एस. सी. सी. 464 =
(2008) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 99 :
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम **अन्नप्पा नेसरिया** ; 15

[2007] (2007) 3 एस. सी. सी. 474 =
(2007) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 84 :
रथनाशाल्वन बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 5.12

[2004] (2004) 5 एस. सी. सी. 385 :
दीपल गिरिशभाई सोनी और अन्य बनाम
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. ; 5

[2003] (2003) 7 एस. सी. सी. 713 :
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. बनाम
सी. पदमा और अन्य ; 5

[2002] (2002) 3 एस. सी. सी. 738 :
कर्नाटक राज्य बनाम **शरणप्पा बसनागौड़ा आरेगौडर** ; 12

[2000] (2000) 5 एस. सी. सी. 82 :
दलबीर सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 16

[1987] (1987) 4 एस. सी. सी. 2158 :
एम. के. कुन्हीमोहम्मद बनाम
पी. ए. अहमदकुट्टी और अन्य ; 5.1

[1980] (1980) 3 एस. सी. सी. 457 :
एन. के. वी. ब्रदर्स (प्रा.) लि. बनाम
एम. करुमई अम्मल और अन्य ; 5.12

[1969] [1969] 3 उम. नि. प. 402 =
[1969] 3 एस. सी. आर. 65 =
ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 701 =
(1969) 72 आई. टी. आर. 787 :
टी. एस. बलैया बनाम **टी. एस. रंगचारी** । 8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 905 (इसके साथ 2010 की दांडिक अपील सं. 906).

2002 के दांडिक पुनरीक्षण संख्या 33 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अगरतला पीठ के तारीख 22 दिसंबर, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री शंकर बोस, मेपंग टाडर बागे, अनिल श्रीवास्तव, शुवोदीप राय और (सुश्री) वर्षा पोद्दार

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, ऋतुराज बिश्वास और सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा ने दिया ।

न्या. मल्होत्रा – वर्तमान दांडिक अपीलों में जो विवाद्यक उद्भूत हुआ है, यह है कि क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह निदेश जारी करके कि सड़क यातायात से संबंधित अपराधों पर केवल मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में मोटर यान अधिनियम) के उपबंधों के अधीन विचार किया जाएगा और यह अभिनिर्धारित करके कि सड़क यातायात के मामलों या मोटर यान के अपराधों में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भारतीय दंड संहिता) के उपबंधों के अधीन अभियोजन चलाना विधि की मंजूरी के बिना है और भारतीय दंड संहिता की धारा के उपबंधों का आश्रय लेना विधि में असंधार्य होगा, न्यायोचित किया है या नहीं ?

2. गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अगरतला पीठ ने तारीख 22 दिसंबर, 2008 के आक्षेपित निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

(i) मोटर यान अधिनियम की धारा 183 और 184, जो मोटर यानों को तीव्र गति और खतरनाक तरीके से चलाने के संबंध में है और मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 के अधीन अन्य अपराध

पुलिस के समक्ष, या न्यायालय में शमनीय हैं और अभियुक्त द्वारा दोषिता का अभिवाक् करने के पश्चात् उसके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी । इस आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि "दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध मोटर यान अधिनियम के कानूनी उपबंधों के अधीन आने चाहिएं और इसके प्रतिकूल कोई अन्वेषण, जांच या विचारण विधि की दृष्टि से अवैध और असंधार्य होगा" । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 14]

(ii) भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दंड प्रक्रिया संहिता) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि सं. 1 और 2 में है । मोटर यान अधिनियम, 1988 समवर्ती सूची की प्रविष्टि सं. 35 के अंतर्गत आता है । इसलिए मोटर यान अधिनियम की प्रास्थिति भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के समान है और यह उपधारण नहीं की जा सकती है कि मोटर यान अधिनियम या तो एक अधीनस्थ विधायन है या प्रास्थिति में भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता से निम्नतर है । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 21]

(iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 5 में ऐसी किसी विशेष अधिनियमिति के अधीन अपराधियों की दोषसिद्धि और दंड के बारे में किसी प्रकार के संदेह को दूर किया गया है, जो उस विशेष अधिनियमिति के अंतर्गत आते हैं । मोटर यान अधिनियम की धारा 208 में सड़क यातायात के अपराधों के निपटारे के लिए एक विशेष प्रक्रिया अभिकथित की गई है । इसलिए भारतीय दंड संहिता का आश्रय लेने से भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का उल्लंघन होगा ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 5 में विशेष विधियों की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है, जिसे साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 की आड़ लेकर कम नहीं किया जा सकता है । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 24-26]

(iv) भारतीय दंड संहिता के अधीन सड़क यातायात से संबंधित अपराधों का अभियोजन अनुज्ञात नहीं है, चूंकि इसके लिए

विधि की मंजूरी नहीं है । इस नियम का एकमात्र अपवाद वहां होगा, जहां अपराध के लिए मोटर यान अधिनियम के अधीन पर्याप्त रूप से दंडित नहीं किया जा सकता हो । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 24-26]

(v) चूंकि सड़क यातायात के अपराधों को मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन पर्याप्त रूप से विनियमित और विचार किया जा सकता है, भारतीय दंड संहिता, जो कि एक साधारण विधि है, के उपबंधों का अवलंब लेने से बचना चाहिए । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 28]

(vi) मोटर यान अधिनियम की धारा 183 से 188, जो अत्यधिक गति या खतरनाक तरीके से या मत्तता की हालत आदि में यान चलाने के लिए दंड के संबंध में हैं, दुर्घटना के परिणाम के बारे में मौन है । इन शास्तिक उपबंधों में लोगों को उपहति कारित करने या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अलग दंड विहित नहीं किया गया है । तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि विधानमंडल मोटर यान अधिनियम अधिनियमित करते समय खतरनाक तरीके से यान चलाने के परिणामों से अभिज्ञ था या पूर्णत: विस्मरणशील था । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 30]

(vii) यदि उतावलेपन और खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाते समय किसी व्यक्ति को कारित हुई उपहति के लिए किसी व्यक्ति को मोटर यान अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, तब उक्त अपराधी को भारतीय दंड संहिता के अधीन भी दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, चूंकि भारतीय दंड संहिता सड़क यातायात के अपराधों को अभिव्यक्त रूप से अपने क्षेत्र में नहीं ले सकती है । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 30]

(viii) मोटर यान के अपराधों के मामले में मोटर यान अधिनियम की बजाय किसी दंड विधि के उपबंधों के अधीन अपराधियों का अभियोजन चलाने के लिए अनुज्ञा देना मोटर यान अधिनियम, जो कि संसद् द्वारा मोटर यान अपराधों के लिए

विरचित एक विशेष अधिनियमिति है, को अध्यारोही करने की कोटि में आएगा । मोटर यान अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के उपबंधों का अवलंब लेने से मोटर यान अधिनियम का मूल स्वरूप और संरचना विकृत हो जाएगी और मोटर यान दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने में मददगार नहीं होगा । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 33]

(ix) सड़क यातायात दुर्घटनाओं के मामलों में अपराधियों का अभियोजन साधारणतया मोटर यान अधिनियम के अधीन, एक अपवाद अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के मामलों में अपराधियों का विचारण करने के सिवाय, किया जाना चाहिए क्योंकि मोटर यान अधिनियम के अधीन उपबंधित छह माह के कारावास का दंडादेश हिंसात्मक सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त प्रतीत होता है ।

भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन अपराधियों का अभियोजन करना विधि के स्थिर सिद्धांतों का अतिक्रमणकारी है और मोटर यान अधिनियम के विधायी आशय के प्रतिकूल है । [आक्षेपित निर्णय का पैरा 37 और पैरा 37.1]

(x) उच्च न्यायालय ने असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को निदेश दिया और सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मोटर यान दुर्घटनाओं के अपराधियों के विरुद्ध सामान्यतया केवल मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपवाद को छोड़कर, मामले रजिस्टर करने के लिए समुचित निदेश जारी करने के लिए कहा ।

3. इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान विशेष इजाजत याचिकाएं त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्यों द्वारा फाइल की गई थीं, जिनमें तारीख 12 मई, 2009 और 25 जुलाई, 2009 के आदेशों द्वारा आक्षेपित निर्णय के प्रवर्तन पर रोक लगा दी गई थी । इस न्यायालय ने

तारीख 26 अप्रैल, 2010 के आदेश द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत दी और यह निदेश दिया कि आक्षेपित निर्णय पर रोक इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान प्रवर्तन में बनी रहेगी ।

4. सूचना की तामीली के बावजूद प्रत्यर्थियों की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ । चूंकि मामले के गुणागुण पर न्यायनिर्णयन पर कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है, इसलिए हम निर्णय के उस भाग पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

5. मोटर यान अधिनियम एक फायदाप्रद विधान है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मोटर यान दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों, या उनके परिवार के सदस्यों के लिए, जो परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु या पहुंची क्षतियों से असहाय और नुकसानग्रस्त होते जाते हैं, प्रतिकर हेतु एक कानूनी स्कीम का उपबंध करना है, यदि उनका दावा असली पाया जाता है । (**न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **सी. पदमा और अन्य**[1] और **दीपल गिरिशभाई सोनी और अन्य** बनाम **युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.**[2] वाले मामले देखें) । अधिनियम में किसी दुर्घटना में पहुंची हानि के लिए प्रतिकर का दावा करने हेतु एक संक्षिप्त प्रक्रिया उपबंधित है, जो किसी सिविल न्यायालय के समक्ष कोई दावा अग्रसर करते हुए वादों और अन्य कार्यवाहियों के लिए अन्यथा लागू होती है । (**विमला देवी और अन्य** बनाम **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. और अन्य**[3] वाला मामला देखें) ।

5.1 यह मोटर यान अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, 1939 को निरसित करता है । सड़क परिवहन प्रौद्योगिकी, यात्रियों के पैट्रन और माल के संचलन, देश में सड़कों के नेटवर्क के विकास और विशेष रूप से मोटर यान प्रबंधन में सुधरी हुई तकनीकियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई थी । **एम. के. कुन्हीमोहम्मद** बनाम **पी. ए. अहमदकुट्टी और अन्य**[4] वाले मामले में इस न्यायालय ने

---

[1] (2003) 7 एस. सी. सी. 713.

[2] (2004) 5 एस. सी. सी. 385.

[3] (2019) 2 एस. सी. सी. 186.

[4] (1987) 4 एस. सी. सी. 2158.

उन मोटर यान दुर्घटनाओं में संदेय प्रतिकर की सीमा को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए थे, जिनमें उल्लंघनकारी यान चलाने वाले व्यक्ति का कोई दोष न होने की दशा में भी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता हो जाती है और टक्कर मार कर भाग जाने की दशा में भी संदेय प्रतिकर की सीमा को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए थे । विधानमंडल द्वारा उक्त सुझावों पर विचार किया गया था और ये मोटर यान अधिनियम, 1988 में सम्मिलित किए गए थे ।

5.2 मोटर यान अधिनियम, 1988 का अध्याय 13 "अपराधों, शास्तियों और प्रक्रिया" के संबंध में है । यह अध्याय मोटर यान अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या निकाली गई अधिसूचना के उल्लंघन से संबंधित अपराधों के संबंध में है । यह मुख्य रूप से अनुज्ञप्तियों, अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा यान चलाने, यातायात के नियंत्रण, मोटरयानों के अनुरक्षण, असुरक्षित हालत में या रजिस्ट्रीकरण अथवा परमिट के बिना यान का उपयोग करने, गति सीमा से परे यान चलाने, खतरनाक तरीके से या मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों आदि के असर में रहते हुए यान चलाने के संबंध में है ।

5.3. मोटर यान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबंध (जैसे वे प्रश्नगत अपराध के कारित होने के समय थे) जिनका उल्लेख करना आवश्यक है, इसमें नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

> "**183. अत्यधिक गति आदि से चलाना** – (1) जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा, वह जुर्माने से, जो चार सौ रुपए तक का हो सकेगा, या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुन: दोषसिद्ध होने की दशा में जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
>
> (2) जो कोई ऐसे व्यक्ति से, जो मोटर यान चलाने के लिए उसके द्वारा नियोजित या उसके नियंत्रणाधीन है, धारा 112 में

निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे चलवाएगा, वह जुर्माने से, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुन: दोषसिद्ध होने की दशा में, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी के इस आशय के साक्ष्य पर ही कि उस साक्षी की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसी गति से यान को चला रहा था जो विधिविरुद्ध है, तब तक दोषसिद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक उस राय की बाबत यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि वह किसी यांत्रिक युक्ति के उपयोग से अभिप्राप्त प्राक्कलन पर आधारित है ।

(4) ऐसी समय-सारणी का प्रकाशन जिसके अधीन ऐसे किसी निदेश का दिया जाना, जिसके अनुसार कोई यात्रा या यात्रा का भाग विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाना है, उस दशा में, जिसमें न्यायालय की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों में यह साक्ष्य नहीं है कि वह यात्रा या यात्रा का भाग धारा 122 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन किए बिना विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाए, इस बात का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा कि जिस व्यक्ति ने वह समय-सारणी प्रकाशित की है या वह निदेश दिया है, उसने उपधारा (2) के अधीन दंडनीय अपराध किया है ।

184. खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना – जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से या ऐसे तरीके से चलाएगा, जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है, जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिमाण को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, वह प्रथम अपराध पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो

सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के लिए किए जाने के तीन वर्ष के अंदर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।"

185. किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना – मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय :–

(क) जिस किसी के रक्त में किसी श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण किए जाने पर रक्त के प्रति 100 मिली लीटर में 30 मिलीग्राम से अधिक एल्कोहल पाया जाता है, या

(ख) जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि वह मोटर यान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है, वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के भीतर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया मादक द्रव्य ऐसा समझा जाएगा, जिससे व्यक्ति मोटर यान पर उचित नियंत्रण रखने योग्य नहीं रहता ।

187. दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दंड – जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से,

जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुन: दोषसिद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

208. **मामलों का संक्षिप्त निपटारा** – (1) इस अधिनियम के किसी अपराध (उस अपराध से भिन्न, जिसे केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें) का संज्ञान करने वाला न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति पर तामील किए जाने वाले समन में –

(i) उस दशा में जिसमें अपराध इस अधिनियम के अधीन कारावास से दंडनीय है, यह कह सकेगा कि वह, और

(ii) किसी अन्य मामले में,

यह कहेगा कि वह –

(क) स्वयं या अभिवक्ता द्वारा उपस्थित हो; या

(ख) आरोप की सुनवाई के पूर्व किसी विनर्दिष्ट तारीख तक यह अभिवचन करे कि वह आरोप का दोषी है और न्यायालय को, धनादेश द्वारा, उतनी धनराशि (जो उस अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिरोपित की जा सके) जितनी न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, भेजे और धनादेश के कूपन में ही दोषी होने का अभिवचन करे:

परंतु, न्यायालय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध की दशा में, समन में यह कथन करेगा कि यदि अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है तो वह ऐसा अभिवचन खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से करेगा और ऐसे अभिवाक् से युक्त अपने पत्र के साथ अपनी चालन-अनुज्ञप्ति न्यायालय को भेजेगा ।

(2) जहां वह अपराध, जिसकी बाबत उपधारा (1) के अनुसार

कार्रवाई की गई है, ऐसा अपराध है जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां न्यायालय, यदि अभियुक्त व्यक्ति यह अभिवचन करता है कि वह आरोप का दोषी है और उसने अपने अभिवाक् से युक्त पत्र के साथ अपनी चालन-अनुज्ञप्ति न्यायालय को भेजी है तो उसकी चालन-अनुज्ञप्ति पर ऐसी दोषसिद्धि को पृष्ठांकित करेगा ।

(3) जहां अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और विनिर्दिष्ट राशि भेजता है तथा उसने, यथास्थिति, उपधारा (1) के या उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है, वहां उस अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी और न उसे, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, दोषी होने का अभिवचन करने के कारण अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से निरर्हित ही किया जाएगा ।

209. दोषसिद्धि पर निर्बंधन – धारा 183 या धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियोजित कोई भी व्यक्ति तभी दोषसिद्ध किया जाएगा जब –

(क) अपराध किए जाने के समय उसे यह चेतावनी दे दी गई थी कि उसका अभियोजन करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, या

(ख) अपराध किए जाने के चौदह दिन के भीतर अपराध का स्वरूप तथा वह समय और स्थान जहां उसका किया जाना अभिकथित है, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना की तामील उस पर या अपराध किए जाने के समय यान के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर कर दी गई थी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी गई थी, या

(ग) अपराध किए जाने के अट्ठाईस दिन के भीतर उस पर अपराध के लिए समन की तामील कर दी गई थी: परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू न होगी जहां न्यायालय का

यह समाधान हो जाता है कि –

(क) इस उपधारा में निर्दिष्ट सूचना या समन की तामील में असफलता इस बात के कारण हुई थी कि न तो अभियुक्त व्यक्ति का नाम और पता और न यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता ही समुचित तत्परता से समय के भीतर अभिनिश्चित किया जा सका था, या

(ख) ऐसी असफलता अभियुक्त के आचरण के कारण हुई थी ।"

5.4. मोटर यान अधिनियम की धारा 183 में धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में अत्यधिक गति पर यान चलाने का अपराध उपबंधित है; जबकि मोटर यान अधिनियम की धारा 184 खतरनाक तरीके से यान चलाने के संबंध में है । धारा 184 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए निम्नलिखित संघटकों को साबित किया जाना अपेक्षित है – (क) अभियुक्त मोटर यान चला रहा हो; (ख) यान को ऐसी गति से या ऐसे तरीके से चलाया जा रहा हो, जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है, जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिमाण को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है ।

मोटर यान अधिनियम की धारा 183 और 184 को धारा 209 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें यह उपबंधित है कि धारा 183 या 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए चेतावनी, सूचना या समन आज्ञापक रूप से दिया जाना आवश्यक है ।

5.5. मोटर यान अधिनियम की धारा 185 शराब पीकर यान चलाने या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए यान चलाने के अपराधों से संबंधित है । मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय, (क) जिस किसी व्यक्ति के रक्त में किसी श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण

किए जाने पर रक्त के प्रति 100 मिली लीटर में 30 मिली ग्राम से अधिक एल्कोहल पाया जाता है, या जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि वह मोटर यान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है, मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

5.6. धारा 187 दुर्घटनाओं से उद्भूत अपराधों से संबंधित है । यह अपराध कर्तव्य के भंग और मोटर यान अधिनियम की धारा 132(1)(ग) या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने का है ।

धारा 132(1) के खंड (ग) को मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1994 (14 नवंबर, 1994 से) हटा दिया गया था; धारा 133 ऐसे ड्राइवर या कंडक्टर, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध का अभियुक्त है, किसी पुलिस अधिकारी के मांगने पर उसके नाम या पते से तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति से संबंधित जानकारी देने के यान के स्वामी के कर्तव्य के संबंध में है; जबकि धारा 134 किसी दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में उस क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लिए निकटतम चिकित्सा व्यवसायी के पास या अस्पताल में ले जाकर उसके लिए चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु सभी युक्तियुक्त कदम उठाने और दुर्घटना के बारे में पुलिस को और यान के बीमाकर्ता को आवश्यक जानकारी देने के ड्राइवर के कर्तव्य के संबंध में है ।

5.7. मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 में अपराधों के ऐसे मामलों के निपटारे के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का उपबंध है, जो मोटर यान अधिनियम की धारा 208(3) के अधीन शमनीय प्रकृति के हैं । धारा 208(3) में यह उपबंधित है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और अधिरोपित जुर्माना जमा कर देता है, तब "उसके विरुद्ध अपराध के संबंध में कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी और न ही उसे, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, दोषी होने का अभिवचन करने के कारण अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से निरर्हित ही किया जाएगा" ।

5.8. दूसरी ओर, भारतीय दंड संहिता दंडात्मक और भयपरतिकारी प्रकृति की है । इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय दंड संहिता के अधीन कारित अपराधों के लिए अपराधियों को दंड देना है । भारतीय दंड संहिता के सुसंगत उपबंध, जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है, इसमें नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

> "**5. कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना** – इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के आफिसरों, सैनिकों, नौ सैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों, पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
>
> **279. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना** – जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
>
> **304. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड** – जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;
>
> अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति,

जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

304क. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

337. ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए – जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

338. ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए – जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।"

5.9. भारतीय दंड संहिता की धारा 279 अध्याय 14 – "लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टाचार और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों" के अंतर्गत आती है और इसमें उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रूप

से वाहन चलाने से संबंधित ऐसे अपराधों के लिए उपबंध है, जो मानव जीवन को संकटापन्न करते हैं ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 279 में लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने, या सवार होकर हांकने को दंडनीय बनाया गया है, यदि ऐसे उतावलेपन से वाहन चलाने या सवार होकर हांकने से मानव जीवन संकटापन्न होता है, या किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य है । उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति से वाहन चलाना या सवार होकर हांकना, जिससे मानव जीवन संकटापन्न होता है, या किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य है, से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के अधीन अपराध का गठन होता है ।

5.10. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2, 304क, 337 और 338 अध्याय 16 – "मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध" के अंतर्गत आती हैं, जिनमें हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध, कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य करके उपेक्षा से मृत्यु कारित करने, और अन्यों के जीवन या वैयक्तिक क्षेम को संकटापन्न करके उपहति या घोर उपहति कारित करने से संबंधित अपराधों के लिए उपबंध किया गया है ।

5.11. जहां उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को उपहति या घोर उपहति कारित होती है, वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 337 या 338 के अधीन अपराध कारित किया जाता है ।

5.12. जहां उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के परिणामस्वरूप इस ज्ञान के बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है कि उक्त कृत्य से मृत्यु कारित हो जाएगी, भारतीय दंड संहिता की धारा 304क लागू होगी । दूसरे शब्दों में, धारा 304क उन मामलों में लागू होती है, जहां मृत्यु कारित करने का कोई आशय और यह ज्ञान नहीं होता है कि किए गए कृत्य से सभी संभाव्यताओं में मृत्यु कारित हो जाएगी । उपेक्षा और उतावलापन धारा 304क के आवश्यक संघटक हैं । (**नरेश गिरी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] और **रथनाशाल्वन** बनाम **कर्नाटक**

[1] (2008) 1 एस. सी. सी. 791.

राज्य[1] वाले मामले देखें) ।

धारा 304क के तीन संघटक, जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक है, ये हैं – (1) किसी मानव की मृत्यु हुई हो ; (2) अभियुक्त ने मृत्यु कारित की हो ; (3) मृत्यु उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य करके कारित की गई हो, यद्यपि यह किसी भांति के आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है । (**अलिस्टर एंथोनी परेरा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाला मामला देखें) ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अधीन आपराधिक उतावलेपन के लिए दायित्व सृजित करने के लिए अपेक्षा अपकृत्य विधि के अधीन उपेक्षा के लिए पर्याप्त अपेक्षा के बजाय ज्यादा कठोर है । [**एन. के. वी. ब्रदर्स (प्रा.) लि.** बनाम **एम. करुमई अम्मल और अन्य**[3] वाला मामला देखें] । दांडिक या आपराधिक उतावलेपन से अभिप्रेत कोई संकटपूर्ण अनियंत्रित कार्य इस ज्ञान के साथ कारित करना कि यह संकटपूर्ण या अनियंत्रित है और यह भी ज्ञान हो कि इससे क्षति कारित हो सकती है, किंतु वह कार्य क्षति कारित करने के किसी आशय के बिना या इस ज्ञान से की गई हो कि उक्त कृत्य से अभिसंभाव्यत: ऐसी क्षति कारित हो सकती है । **रथनाशाल्वन** बनाम **कर्नाटक राज्य** (उपर्युक्त) वाला मामला देखें ।

5.13. जब कोई व्यक्ति किसी यान को इतना अंधाधुंध, उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाता है कि इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और एक युक्तियुक्त व्यक्ति के रूप में उसे यह ज्ञान था कि ऐसा कृत्य मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त संकटपूर्ण था, तो उसे इसके परिणाम का ज्ञान होना समझा जा सकता है और उसे हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दायी ठहराया जा सकता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडनीय है ।

---

[1] (2007) 3 एस. सी. सी. 474 = (2007) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 84.

[2] (2012) 2 एस. सी. सी. 648 = (2012) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 953.

[3] (1980) 3 एस. सी. सी. 457.

5.14. भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304क, 337 और 338 का केवल तब अवलंब लिया जा सकता है, यदि अभियुक्त का कृत्य उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन का कृत्य है । भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304क, 336, 337 और 338 की स्कीम से यह स्पष्ट है कि ये अपराध अपराधी के ज्ञान या आशय के न होते हुए भी इन धाराओं में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अंतर्निहित संकट के कारण दंडनीय हैं ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 की बाबत अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु अभियुक्त के कृत्य से कारित हुई थी और उसे यह ज्ञान था कि ऐसे कृत्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है । [**अलिस्टर एंथोनी परेरा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** (उपर्युक्त) वाला मामला देखें] । इस धारा के अधीन अपराध का गठन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन यथा अपेक्षित अपराधी के ज्ञान को साबित और सिद्ध किया जाना चाहिए ।

6. हमारे मत में, भारतीय दंड संहिता और मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के बीच कोई संघर्ष नहीं है । दोनों कानून पूर्णत: भिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं । दोनों कानूनों के अधीन उपबंधित अपराध एक-दूसरे से अलग और सुभिन्न हैं । दोनों कानूनों के अधीन उपबंधित शास्तिक परिणाम भी एक-दूसरे से स्वतंत्र और सुभिन्न हैं । जैसे कि पहले चर्चा की गई है, दोनों कानूनों के अधीन अपराधों के संघटक भिन्न-भिन्न हैं और अपराधी को दोनों कानूनों के अधीन स्वतंत्र रूप से विचारित और दंडित किया जा सकता है । यह सिद्धांत कि विशेष विधि साधारण विधि पर अभिभावी होनी चाहिए, भारतीय दंड संहिता और मोटर यान अधिनियम के अधीन सड़क दुर्घटनाओं में के अपराधियों के अभियोजन के मामले में लागू नहीं होता है ।

7. यह उल्लेख करना प्रासांगिक है कि मोटर यान अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जो मोटर यान दुर्घटनाओं के मामलों में मोटर यान द्वारा मृत्यु, या घोर उपहति, या उपहति कारित करने के अपराधों के संबंध में अलग से हो । मोटर यान अधिनियम का अध्याय 13 व्यक्तियों को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के कृत्य के परिणामस्वरूप मृत्यु, या उपहति, या घोर उपहति कारित होने के बारे

में मौन है और न ही इसमें इनके लिए कोई अलग दंड विहित किया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304 भाग 2, 304क, 337 और 338 विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विरचित की गई हैं ।

8. साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में यह उपबंधित है कि "जहां किसी कृत्य या लोप से दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन अपराध का गठन होता है, तब अपराधी उन अधिनियमितियों में से प्रत्येक या किसी के अधीन अभियोजित और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा, किंतु उसी अपराध के लिए दो बार दंडित किए जाने के लिए दायी नहीं होगा ।"

यह भली-भांति स्थिर है कि किसी कृत्य या लोप से भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध का गठन हो सकता है और साथ ही साथ यह किसी अन्य विधि के अधीन भी अपराध हो सकता है । अत: उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दो कानूनों अर्थात् मोटर यान अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधियों का अभियोजन चलाना असंधार्य और विधि के प्रतिकूल है, अपास्त किया जाता है ।

टी. एस. बलैया बनाम **टी. एस. रंगचारी**[1] वाले मामले में इसी प्रकार का विवाद्यक उद्भूत हुआ था, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 170 और आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 52 दोनों के अधीन अभियोजित किया गया था । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "6. <u>अब हम इस मामले में उठने वाले अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, अर्थात्, कि क्या अपीलार्थी को एक ही समय में भारतीय दंड संहिता की धारा 177 और 1922 के ऐक्ट की धारा 52 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है । अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए अपीलार्थी</u>

---

[1] [1969] 3 उम. नि. प. 402 = [1969] 3 एस. सी. आर. 65 = ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 701 = (1969) 72 आई. टी. आर. 787.

को या तो 1922 के ऐक्ट की धारा 52 के अधीन या भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है न कि एक ही समय पर दोनों धाराओं के अधीन । हम इस तर्क को सही नहीं मान सकते । साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 इस प्रकार है –

> '26. दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन दण्डनीय अपराधों के बारे में उपबंध–जहां कि कोई कार्य या लोप दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन कोई अपराध गठित करता है वहां अपराधी उन दोनों अधिनियमितियों के या उनमें से किसी के भी अधीन अभियोजित और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा, किंतु उसी अपराध के लिए दो बार दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।'

इस धारा के पठन मात्र से यह पता चलता है कि दोनों अधिनियमितियों के अधीन अपराध के विचारण या दोषसिद्धि के लिए कोई वर्जन नहीं है किंतु एक ही अपराध के लिए अपराधी को दो बार दंडित करने का वर्जन है । दूसरे शब्दों में, इस धारा में यह उपबंधित है कि जहां कोई कार्य या लोप से दो अधिनियमितियों के अधीन कोई अपराध गठित होता है, वहां अपराधी उन दोनों अधिनियमितियों में से किसी के या दोनों के अधीन अभियोजित और दंडित किया जा सकता है किंतु उसी अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकेगा । तद्नुसार, हम मामले के इस पहलू पर अपीलार्थी के तर्क को नामंजूर करते हैं ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

इसी प्रकार, **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **सय्यद हसन**[1] वाले मामले में अभियुक्त को प्रतिषिद्ध गुटखा/पान मसाला के परिवहन और विक्रय के लिए खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 272, 273 और 328 के अधीन अभियोजित

---

[1] 2018 की दांडिक अपील सं. 1195-1207, जिसका तारीख 20 सितंबर, 2018 को विनिश्चय किया गया ।

किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 55 एक विशेष अधिनियमिति में बनाया गया एक विशेष उपबंध होने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लागू नहीं होती थी ।

उच्चतम न्यायालय ने मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया और यह अभिनिर्धारित किया कि :–

> "8. दो भिन्न अधिनियमितियों के अधीन किसी अपराधी के विचारण या दोषसिद्धि पर कोई वर्जन नहीं है, किंतु वर्जन केवल उसी अपराध के लिए अपराधी को दो बार दंड देने पर है । जहां किसी कृत्य या लोप से दो अधिनियमितियों के अधीन अपराध का गठन होता है, वहां अपराधी को उनमें से किसी एक या दोनों अधिनियमितियों के अधीन अभियोजित और दंडित किया जा सकता है किंतु उसी अपराध के लिए दो बार दंडित किए जाने के लिए दायी नहीं होगा । बोधगम्य मामलों में एक ही प्रकार के तथ्यों से दो भिन्न-भिन्न विधियों के अधीन अपराधों का गठन हो सकता है । कोई कृत्य या लोप भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध की कोटि में आ सकता है और अपराध का गठन किया जा सकता है तथा साथ ही साथ अपराध किसी अन्य विधि के अधीन भी आ सकता है । उच्च न्यायालय को साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 26 को ध्यान में रखना चाहिए था, जो निम्नलिखित है –
>
> > 'दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के बारे में उपबंध – जहां कि कोई कार्य या लोप दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन कोई अपराध गठित करता है, वहां अपराधी उन दोनों अधिनियमितियों के उनमें से किसी के भी अधीन अभियोजित और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा, किंतु उसी अपराध के लिए दो बार दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।'
>
> 9. हट सिंह वाले मामले में इस न्यायालय ने दोहरे खतरे के

सिद्धांत और साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 पर चर्चा की थी और यह मत व्यक्त किया था कि दो भिन्न अधिनियमों के अधीन अभियोजन अनुज्ञेय है, यदि उन्हीं तथ्यों के आधार पर उपबंधों के संघटकों का समाधान हो जाता है । राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली) **बनाम** संजय वाले मामले में इस न्यायालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों के लिए उस मामले में प्रत्यर्थी के अभियोजन के बारे में एक विवाद पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तियों को दंड संहिता के अधीन वहां अभियोजित करने पर कोई वर्जन नहीं है, जहां व्यक्तियों द्वारा कारित अपराध शास्तिक और संज्ञेय अपराध हैं । खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के उपबंधों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन अभियोजन के लिए केवल इस कारण कोई वर्जन नहीं है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में के उपबंधों में शास्तियां निहित की गई हैं । अत: हम प्रथम मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को अपास्त करते हैं ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

9. मोटर यान अधिनियम और विशिष्टत: मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 का विधायी आशय, जहां तक मोटर यान दुर्घटनाओं में के अपराधियों की दोषसिद्धियों का संबंध है, भारतीय दंड संहिता के उपबंधों को अभिभावी या अधिक्रांत करना नहीं था । मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 के अधीन आने वाले अपराधों से भारतीय दंड संहिता की धारा 297, 304, 304क, 337 और 338 के अधीन उपबंधों की प्रयोज्यता निराकृत नहीं हो सकती है । ये अपराध परस्पर-व्यापि नहीं हैं और इसलिए "साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते (जनरेलिया स्पेशियालिबस नॉनडेरोगेंट)" सूत्र अनुप्रयोज्य है और इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता था । भारतीय दंड संहिता के अधीन विहित किए गए अपराध मोटर यान अधिनियम के अधीन विहित किए गए अपराधों से स्वतंत्र हैं । जहां तक मोटर यान अधिनियम के अधीन

अपराधों के लिए दंड का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सड़क यातायात/मोटर यान के अपराधियों का भारतीय दंड संहिता के अधीन अभियोजन से भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का उल्लंघन होता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है ।

10. मामले पर एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए, मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 के अधीन आने वाले अपराध मोटर यान अधिनियम की धारा 208(3) को देखते हुए शमनीय प्रकृति के हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304 भाग 2 और 304क के अधीन अपराध शमनीय नहीं हैं ।

जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, यदि भारतीय दंड संहिता पर मोटर यान अधिनियम को अधिमान दिया जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन आते हैं, तब उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने के कारण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध, मृत्यु कारित करने, या घोर उपहति, या साधारण उपहति कारित करने के मामले भी शमनीय बन जाएंगे । ऐसे निर्वचन का परिणाम यह होगा कि अपराधी कारित किए गए अपराध के लिए किसी अभियोजन का सामना किए बिना दोषी होने का अभिवचन करके जुर्माना देकर छूट जाएंगे ।

11. इस न्यायालय ने बारंबार मोटर यान दुर्घटनाएं कारित करने के लिए उत्तरदायी अपराधियों को कठोरतापूर्वक दंड देने की आवश्यकता पर बल दिया है । मोटर यानों की संख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि से भारत को सड़क यातायात से होने वाली क्षतियों और प्राणांतक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है । किसी परिवार के आजीविका कमाने वाले या परिवार के किसी अन्य सदस्य को खो देने, या दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की असमर्थता के कारण हुई आर्थिक हानि, भावनात्मक और सामाजिक अभिघात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

12. अपराध और दंड के बीच आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए । न्यायसंगत दंड का सिद्धांत किसी दांडिक अपराध के संबंध में दंडादेश देने का मूल आधार है । **गोपाल सिंह** बनाम

उत्तराखंड राज्य[1] वाला मामला देखें । मोटर यान अधिनियम के अध्याय 13 के अधीन प्रथम बार अपराध के लिए अधिकतम कारावास केवल 6 माह है, जबकि सड़क यातायात के अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रथम बार अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन अधिकतम कारावास 10 वर्ष तक हो सकता है । न्यायालयों द्वारा अधिरोपित दंडादेश अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए और दोषकर्ताओं पर एक भयपरतिकारी प्रभाव होना चाहिए । (**कर्नाटक राज्य** बनाम **शरणप्पा बसनागौड़ा आरेगौडर**[2] वाला मामला देखें) । भारतीय दंड संहिता के अधीन मोटर यान दुर्घटनाओं के अपराधियों के लिए दंड मोटर यान अधिनियम की तुलना में अधिक कठोर है ।

13. अत: हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि कोई अभियोजन, यदि अन्यथा चलाने योग्य है, भारतीय दंड संहिता और मोटर यान अधिनियम दोनों के अधीन चलाया जाएगा, चूंकि दोनों कानून अपने-अपने स्वतंत्र क्षेत्र में पूर्ण सामर्थ्य से लागू होते हैं । यदि यह उपधारणा की जाए कि मोटर यान अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंध परस्पर व्यापी हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों कानूनों के अधीन अपराध असंगत हैं ।

14. उच्च न्यायालय ने एक ओर यह अभिनिर्धारित करके कि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध अवश्य मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन आने चाहिए, क्योंकि कार्यपालक प्राधिकारी संसद् द्वारा अधिनियमित किसी विशेष विधि के अधीन किसी फायदाप्रद उपबंध को छीन नहीं सकते हैं (आक्षेपित निर्णय का पैरा 14), जबकि दूसरी ओर यह राय व्यक्त की है कि मोटर यान अधिनियम स्वयमेव एक पूर्ण संहिता नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन सड़क यातायात के अपराधों का अन्वेषण करने के लिए कोई पूर्ण वर्जन नहीं है (आक्षेपित निर्णय का पैरा 23), एक विरोधाभासी निष्कर्ष दिया है ।

---

[1] (2013) 7 एस. सी. सी. 545 = (2013) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 608.

[2] (2002) 3 एस. सी. सी. 738.

15. हमारे सुविचारित मत में, विधि की स्थिति सुस्थिर है । इस न्यायालय ने सतत् रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक मोटर यानों का संबंध है, मोटर यान अधिनियम, 1988 स्वयमेव एक पूर्ण संहिता है । (**नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **अन्नप्पा नेसरिया**[1] वाला मामला देखें) । तथापि, मोटर यान से संबंधित अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों के विचारण और अभियोजन के लिए मोटर यान अधिनियम या अन्यथा में कोई वर्जन नहीं है । इस आधार पर भी आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है ।

16. मोटर यान दुर्घटनाएं कारित करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित करने के पीछे जो उद्देश्य है, उसे **दलबीर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शब्दों में उल्लिखित किया गया है :–

> "11. जब भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अधीन किसी दोषसिद्ध व्यक्ति पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 लागू करने के आधार पर कोई अभिवाक् किया जाता है तो न्यायालयों को अवश्य यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं चिंताजनक सीमा तक पहुंच गई हैं और हताहतों की संख्या दिनों-दिन बढती जा रही है तथा दृष्टि में कोई हल नहीं है और न ही इनमें कमी लाने के लिए कहीं से कोई हल सुझाया गया है । जब दो दशक पहले इस न्यायालय ने यह चिंता व्यक्त की थी कि 'लोग अधिकांश बिमारियों की बजाय सड़क दुर्घटनाओं में अधिक मरते हैं, इतना ही नहीं भारतीय राजमार्ग देश के सबसे बड़े हत्यारों में हैं', दुर्घटनाओं की अधिकता उस समय आधी भी नहीं थी जितनी आज है । इसलिए न्यायमूर्ति वी. आर. अय्यर ने उक्त विनिश्चय [रत्तन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (1979) 4 एस. सी. सी. 719 = 1980 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 17] में यह सुझाव दिया था –
>
> 'उतावलापन और उपेक्षा सापेक्ष धारणाएं हैं, न कि पूर्णत:

---

[1] (2008) 3 एस. सी. सी. 464. = (2008) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 99.

[2] (2000) 5 एस. सी. सी. 82.

पृथक् । हमारी वर्तमान दशाओं में भारतीय दंड संहिता की धारा 304क और उपेक्षा शीर्षक के अधीन आने वाली विधि का ध्यान भारी यानों और तेज गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति अवश्य होना चाहिए ।'

कर्नाटक राज्य **बनाम** कृष्णा [(1987) 1 एस. सी. सी. 538 = 1987 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 198.] वाले मामले में इस न्यायालय ने एक ड्राइवर, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दोषसिद्ध किया गया था, पर अधिरोपित जुर्माने के दंडादेश को प्रवृत्त रहने के लिए मंजूरी नहीं दी थी यद्यपि उच्च न्यायालय ने भी उक्त अभियुक्त को क्रूरतापूर्वक एक बस चलाने और एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया था और उक्त दंडादेश की पुष्टि की थी । उस मामले में इस न्यायालय ने जुर्माना अधिरोपित करने के अतिरिक्त दंडादेश में बढ़ोतरी करके छह माह का कठोर कारावास कर दिया था ।

13. भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और आहतों तथा उनके परिवारों को होने वाले विध्वंसक परिणामों को ध्यान में रखते हुए दांडिक न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अपराध की प्रकृति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के फायदाग्राही उपबंधों को लागू करने के रूप में नहीं समझ सकते हैं । मोटर वाहनों को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चला कर मृत्यु कारित करने के अपराध के लिए अधिरोपित किए जाने वाले दंडादेश की मात्रा पर विचार करते समय प्रमुख विचारणा भयपरतिकारिता होनी चाहिए । एक पेशेवर ड्राइवर मोटर वाहन को अपने लगभग समस्त कार्य के समय के दौरान चलाता है । उसे स्वयं को सतत् रूप से सचेत रखना चाहिए कि वह क्षण भर के लिए भी शिथिलता या असावधानी नहीं बरत सकता है, जब वह यान को चला रहा हो । वह यह सोच कर कोई अवसर नहीं ले सकता है और न ही लेना चाहिए कि उतावलेपन से वाहन चलाने से जरूरी नहीं कि कोई दुर्घटना हो ; या यदि कोई दुर्घटना होती भी है तो यह जरूरी नहीं कि इसके परिणामस्वरूप

किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ; या यदि ऐसी मृत्यु हो भी जाती है तो भी उसे अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ; और अंत में, यदि उसे दोषसिद्ध किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसके साथ नरम व्यवहार किया जाएगा । उसके मन में सदैव यह डर होना चाहिए कि यदि उसके क्रूरतापूर्वक यान चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध किया जाता है तो वह कारागार के दंडादेश से नहीं बच सकता है । यही वह भूमिका है जो मोटर यानों के क्रूरतापूर्वक चलाने के कारण होने वाली मोटर दुर्घटनाओं की उच्च दर को कम करने के लिए न्यायालयों द्वारा निभाई जा सकती है, विशिष्ट रूप से विचारण न्यायालयों के प्रक्रम पर ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

गुरु बासवराज बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि मोटर यान दुर्घटनाओं के मामलों में के अपराधों के संबंध में पर्याप्त दंडादेश अधिरोपित करने का इस न्यायालय का सतत् सरोकार रहा है । उस मामले में, अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 337, 338, 279 और 304क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया था और जुर्माने सहित छह माह का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :–

"32. हम उपयोगी रूप से यह उल्लेख कर सकते हैं कि समुचित दंडादेश उन व्यक्तियों के लिए एक सबक के रूप में कार्य करता है, जो सड़क पर यान चलाते समय सावधान नहीं हैं और संभवत: इस धारणा को मन में रखकर एक लापरवाह रवैया प्रदर्शित करते हैं कि उनके प्रति सौम्यपूर्ण व्यवहार किया जाएगा या उनके लिए दूसरों का जीवन 'शरारती बच्चों के लिए मक्खियों' के समान है । वे पूरी तरह से यह भूल जाते हैं कि बहुत से व्यक्तियों का

---

[1] (2012) 8 एस. सी. सी. 734 = (2012) 4 एस. सी. सी. (सिविल) 594 = (2013) 1 एस. सी. सी. 972.

जीवन उनके हाथों में होता है और किसी व्यक्ति की सुरक्षा के महत्व को उनके उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कृत्य द्वारा अशोभनीय रूप से मृत्यु कारित करके तिलांजलि दी जाती है ।

33. अपराध और दंड के बीच एक अनुपात होना चाहिए, इस संबंध में मुश्किल से कोई नुक्ताचीनी की जा सकती है । यह देखना न्यायालयों का कर्तव्य है कि अपराध के कारित होने और सामाजिक व्यवस्था पर इसके असर को ध्यान में रखते हुए समुचित दंडादेश अधिरोपित किया जाए । न्याय के लिए जनता की मांग, जिसके अंतर्गत पर्याप्त दंड भी है, की यों ही उपेक्षा नहीं की जा सकती है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

17. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को जारी किए गए इन निदेशों को अपास्त करते हैं कि वे मोटर यान दुर्घटनाओं में के अपराधियों को केवल मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन न कि भारतीय दंड संहिता के अधीन अभियोजित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी करें ।

18. ये दांडिक अपीलें पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर की जाती हैं । तारीख 26 अप्रैल, 2010 को पारित किया गया अंतरिम आदेश आत्यांतिक किया जाता है । तद्नुसार, सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, का निपटारा किया जाता है । तद्नुसार, आदेश दिए जाते हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.